Regional Rural Bank

ग्रामीण ऋण ढांचे में सुधार के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया। बैंकिंग आयोग ने अपनी 1972 की रिपोर्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था। लेकिन वास्तव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एम. नरसिंहन की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना 2 अक्टूबर, 1975 को लागू की गई जबकि देश के विभिन्न प्रदेशों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सितम्बर 2005 से चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 अगस्त, 2006 तक 196 में से 133 बैंकों को मिलाकर 46 नये बैंक गठित किये गए। 20 जुलाई 2009 तक 164 बैंकों को एकीकृत कर 56 नये बैंक बनाये गये।

कार्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन सभी बैंकिंग क्रियाओं को सम्पन्न कर सकता है जो कि एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सम्पन्न किये

किए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य रूप से निम्नांकित कामों को सम्पन्न करते हैं :—

(i) छोटे और सीमान्त किसानों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण प्रदान करना।

(ii) सहकारी संगठनों जिनमें कृषि विपणन समितियाँ, कृषि विकास समितियाँ, सहकारी कृषि समितियाँ आदि को कृषि व अन्य कामों के लिए ऋण प्रदान करना।

(iii) दस्तकारों, छोटे उद्यमियों तथा कम साधन वाले व्यक्तियों को व्यापार, उद्योग एवं अन्य उत्पादक कामों के लिए निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण व अन्तिम प्रदान करना।

आलोचनाएँ :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यवस्था के निम्नलिखित दोष भी हैं :—

(i) किसानों को ऋण देते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यतः गरीब जनता को ऋण देते हैं जिससे बहुत कम ब्याज दर ली जाती है।

(ii) राज्य सरकारों के दबाव के कारण इनका बहुविध विस्तार किया गया है जिससे इनके प्रबन्धन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं।

(iii) किसानों से ऋणों की वसूली में बहुत शिथिलता बरती गई है इसका प्रमुख कारण राजनैतिक

Scanned with CamScanner

दबाव रहा है।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था पर बहु एजेन्सी नियंत्रण है जो शीघ्र निर्णय लेने में बाधक सिद्ध होता है।

सफलता हेतु सुझाव :-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सफलता हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं:—

(i) किसानों को ऋण स्वीकृत करते समय उसके उपयोग की निश्चितता कर ली जानी चाहिए।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ ऐसे गाँवों में स्थापित की जानी चाहिए जहाँ के कृषक अधिक से अधिक इनकी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकें।

(iii) बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से स्थापना एवं प्रशासन पर होनेवाले व्यय को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक बैंकों के विशेषज्ञों की सेवाएँ लेनी चाहिए।

सरकार भी अल्पकालीन एवं दीर्घ-कालीन अवधियों के लिए ग्रामीण साख की एक स्रोत रही है। किसानों को सरकार से

प्राप्त होनेवाले ऋण 'तत्काली ऋण' कहलाते हैं। ये ऋण सुरक्षा, बाढ़ एवं अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर समय प्रदान किये जाते हैं। ऋण की अदायगी आसान किस्तों में सालगुजारी के साथ करनी होती है। ब्याज दर कम होने के बाद भी ये ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। इसका कारण सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट प्रवृत्ति, ऋण की प्राप्ति में कठिनाई तथा अनावश्यक फिजूल आदि हैं।

समाप्त

Scanned with CamScanner